# उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8

सं0

/2013/141(120)/XXVII(8)/2008

देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2013

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:-

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपिटत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करके, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची—III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

### संशोधन

अनुसूची-III के क्रमांक 1 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात:-

क्र0सं0	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(क) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रयकराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित अल्कोहल सम्मिलित है, किन्तु देशी शराब एवं "उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाईन(wine)" सम्मिलित नहीं है।	नि० या आ०	20 प्रतिशत
	(ख) देशी शराब	_	करमुक्त
	(ग) उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाईन(wine)	नि० या आ०	5 प्रतिशत

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव।

सं0379/2012/141(120)/XXVII(8)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल **हेतु।** 

आज्ञा से, (सौजन्या) अपर सचिव। In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 2012/141(120)/XXVII(8)/ 2008 dated 28 March, 2013 for general information.

### Government of Uttarakhand

Finance Section-8
No. 379 / 2013 / 141(120) / XXVII(8) / 2008
Dehradun:: Dated:: 28 March, 2013

## **Notification**

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from 1<sup>st</sup> April, 2013, the following amendment in Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

#### Amendment

In schedule-III, the existing entry at serial no. 1, the following entry shall be substituted; namely-

Sl. No	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(a) Spirits and spirituous liquors of all kinds including Methyl Alcohol, Alcohol as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939 but excluding country liquors and "wine, manufactured from fruits produced in Uttarakhand State".	M or I	20 %
}	(b) Country liquors	-	Exempt
	(c) Wine, manufactured from fruits produced in Uttarakhand State	M or I	5 %

(Radha Raturi)

Principal Secretary.